रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938
No. 113] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 137(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मत्रालय) में नागर विमानन सुरक्षा सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन सुरक्षा सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु –सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा -।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नागर विमानन सुरक्षा सहायक	*48 (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह 'ग' अराजपत्रित , अनुसचिवीय।	स्तर2 -	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो ।	भर्ती का पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय पुलिस संगठनों -: या राज्य सरकार पुलिस संगठनों या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठनों में से ऐसे विभाग अधिकारी जिन्होंने मूल संवर्ग या में निम्नलिखित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों। टिप्पण प्रतिनियुक्ति की अवधि .1 -: जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया वर्ष से 3 अधिक नहीं होगी। .2अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनो के प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष से 40 अधिक नहीं होग।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. वी.—13029/001/2009- ए. एस.]

सतीश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Constable (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done, before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Aviation Security Assistant, in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Aviation Security Assistant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **The number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post(s)	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aviation Security Assistant	48(2017)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2,	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By 100% deputation	**Deputation** Officers from Central Police Organisations or State Police Organisations or Union territory Police Organisations holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding 40 years, as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable

[F. No. AV-13029/001/2009-AS.]

SATISH CHANDER, Under Secy.